मौका फर्द रिपोर्ट

प्रार्थना पत्र सं. 164/12, 153/12, U/s 251, क RTAct

कार्यवाही निर्देश
10/11/16

आज दिनांक: 22/3/11 को हमराह हल्का पटवारी, अभिभावक प्रार्थी एवं अप्रार्थी श्री हरीश पारिख एवं श्री दशरथ सिंह के मौजा ड्रगार के खेत ख.नं. 630, 631, 632, 633 एवं 634 का मौका निरीक्षण किया गया। जो निम्न प्रकार है:-

① मौजा ड्रगार के कदमी रास्ता ग्राम ड्रगार से मलायुम पर खातेदार महावीर सिंह का खेत ख.नं. 630 तथा इसके दक्षिण में खातेदार जगदेवराम का खेत ख.नं. 631 एवं 632 है। जगदेवराम के खेत के दक्षिण में खातेदार कानाराम का खेत ख.नं. 633 है। तथा इसके दक्षिण में महावीर सिंह का खेत ख.नं. 634 है।

② महावीर सिंह के खेत ख.नं. 630 के पूर्व में गोचर भूमि ख.नं. 654 तथा गोचर भूमि के दक्षिण में तथा जगदेवराम के खेत खसरा नं. 631, 632 के पूर्व में खातेदार रामनाथ का खेत खसरा नं. 653 है। कानाराम एवं महावीर सिंह खेत ख.नं. 633, 634 के पूर्व में R5mm की भूमि ख.नं. 652 आई हुई है।

③ महावीर सिंह के खेत ख.नं. 634 के दक्षिण में आम का मार्ग बिना कदमी है जो ग्राम कसनाऊ को चलता है। ख.नं. 652 के दक्षिण में नहर ख.नं. 653 व 654 के पूर्व सीमा पर पगडंडी (कदीमी रास्ता) है, जो मौके पर लोकेप नजरीनक्शा अनुसार चालू है।

④ महावीर सिंह के खेत ख.नं. 630 की पूर्वी सीमा तथा गोचर भूमि ख.नं. 654 की पश्चिमी सीमा नजरी नक्शानुसार डोरेड भाग पर आई ओदी हुई है। तथा खेत नं. 630 की दक्षिणी सीमा व ख.नं. 631 की उत्तरी सीमा पर नक्शे डोरेड भाग पर सूखे पत्थरों की दीवार बनी हुई है।

[signature]

P.T.O.

Scanned with CamScanner

⑤ आवेदक जगदेवराम के खेत ख.नं. 631 एवं 632 पूर्वी सीमा की जहां दोनो खेत की सीमा मिलती है पर सीमा की नक्शा नजरी नक्शे में प्रदर्शित भाग पर जगदेव का पानी का ~~अधकुन्ड (हौद)~~ कुआं बना हुआ है।

⑥ ख.नं. 630 जो की महावीर सिंह का खेत है तथा ख.नं. 654, व गौचर भूमि व ख.नं. 653 खातेदार रामलाल की भूमि जहां तीनो जगह का मध्य लगता है, वहां पर पानी का हौज बना हुआ है जिसका कुछ भाग गौचर भूमि में आया हुआ है। फर्द मौका रिपोर्ट आवेदक प्रार्थी हरिश पारीक, अप्रार्थी दशरथ सिंह को सुनाई गई, फर्द मौका रिपोर्ट उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गये।

[signature] पटवारी 22.03.2016

[signature] 22/3/16

[stamp]

32114

[signature] 22.3.16

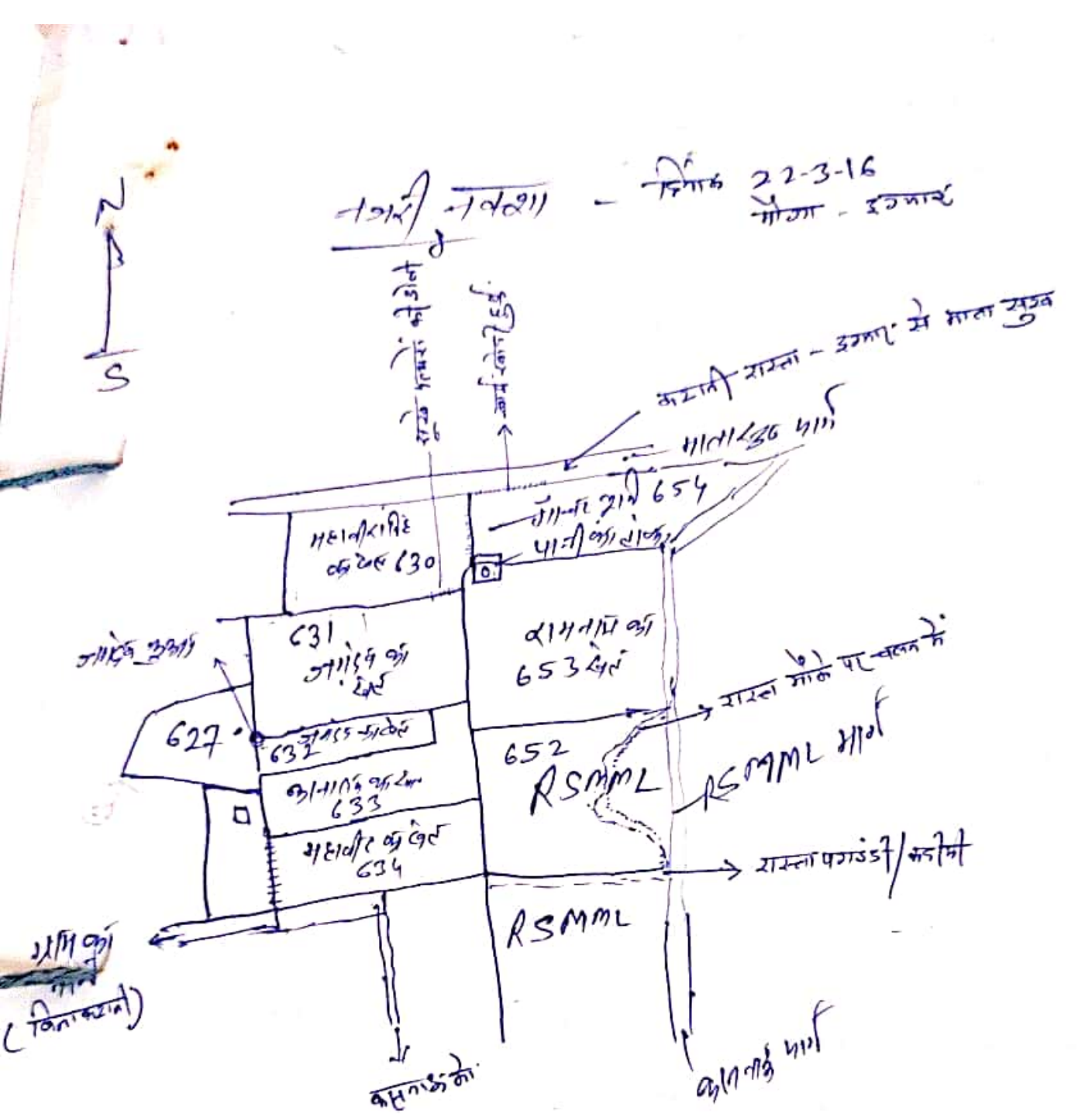

नजरी नक्शा - दिनांक 22-3-16
मौजा - डूकाई

22.3.2016

22/3/16

22/3/16

प्रेषक :- निरिक्षक (भू.अ.) लूणसरा

प्रेषिति :- श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) साहब जायल

विषय :- ग्राम डूंग्यार के ख.न. 630 में से 15 फूट चौड़ा रास्ता धारा 251 क के तहत दिलवाने बाबत

प्रार्थीगण :- जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति जाट सा. डूंग्यार

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी डूंग्यार का खातेदारी खेत ख.न. 631 रकबा 10.14 व ख.न. 632 रकबा 6.02 में जाने हेतू उपखण्ड कार्यालय जायल में दावा वाद स. 153/12 दायर कर अप्रार्थी महावीरसिंह ~~पुत्र रूपसिंह~~ रामसिंह पि. रतनसिंह कौम राजपुत सा. डूंग्यार के खेत ख.न. 630 रकबा 12.14 में से 15 फुट चौड़ा पूर्वी ~~सिमाड़~~ के चिपता वाद दायर कर D.L.C. दर से मांग की गई है।

(1) यह है कि प्रार्थी जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी डूंग्यार के खेत ख.न. 631 व 632 खातेदारी दर्ज है।

(2) यह है कि अप्रार्थीगण महावीरसिंह रामसिंह पि. रतनसिंह जाति राजपुत निवासी डूंग्यार का खेत ख.न. 630 रकबा 12.14 बीघा की खातेदारी दर्ज है

(3) यह है कि प्रार्थी जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी डूंग्यार का खेत ख.न. 631 रकबा 10.14 व 632 रकबा 6.02 में जाने हेतू अप्रार्थीगण महावीरसिंह ~~व~~ रामसिंह पि. रतनसिंह कौम ~~राज~~ राजपुत ग्राम डूंग्यार के खेत ~~खेत~~ ख.न. 630 रकबा 12.14 में से 15 फूट चौड़ा रास्ता पूर्वी सीमा के चिपता हुआ D.L.C दर से मांग की जो निम्न प्रकार है।

(4) यह है कि प्रस्तावित रास्ता ख.न. 630 में से A से B की चौड़ाई 15 फूट व लम्बाई 350 फुट यानि 5250 वर्ग फूट है।

(5) यह है कि उक्त ख.न. वर्तमान में सिंचित है ग्राम डूंग्यार की सिंचित D.L.C. दर 40570 रु० प्रतिबीघा है।

(6) यह है कि ख.न. 630 में से A से प्रस्तावित रास्ता का रकबा 0.06 बीघा बनता है। जिसकी किमत D.L.C दर से 73026 रु. बनता है।

अत: उपरोक्त खसरा की D.L.C. दर से 73026 रु० जमा होने आदि ~~कार्यवाही~~ योग्य है।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	नाम ग्राम	ख.नं.	खातेदार का नाम	रास्ते में आने वाली भूमि	D.L.C. दर से	देय राशि
1	डूमार	630	महावीरसिंह रामसिंह पि. रतनसिंह कौम राजपूत	व. चौ. 350×15 =5250 व.फुट यानि 0.06 बिस्वा	40570 से 3 गुणा 36513	×2 =73026

उपरोक्त भूमि का D.L.C दर से 73026 रु० जमा होने पर अभिशंषा योग्य है.

[signature]
I.C.R. [illegible]
13/6/18

C.S.
[signature]
13/06/18
तहसीलदार जायल
(नागौर)

शा ग्राम - डियार

C.S.

13/06/18

तहसीलदार जायल
(नागौर)

13/6/18

आज दिनांक 09.09.2013 को न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) जायल, जिला- नागौर के आदेश क्रमांक : कोर्ट/रीडर/2013/133 दिनांक : 12.08.2013 की पालना में भू.अ. निरीक्षक रोल व. पटवार हल्का अड़वड़ के साथ ग्राम ईग्यार के ख.नं. 633, 629, 627, 630, 631, 632 एवं 653 का मौका देखा गया। रेकर्ड अनुसार ख.नं. 633 कानाराम पुत्र बक्षाराम कौम आंबी, ख.नं. 627, 631 व 632 जगदेव पुत्र गणेशाराम, ख.नं. 630 महावीर सिंह रामसिंह पि० रतन सिंह कौम राजपूत, ख.नं. 653 रामनाथ पुत्र गोपालराम कौम जाट एव ख.नं. 629 मनीराम दत्तक पुत्र रामकरण कौम जाट की खातेदारी मे है।

न्यायालय के प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 कानाराम बनाम जगदेव में ग्राम ईग्यार के खसरा नम्बर 633 कानाराम पि. बक्षाराम कौम आंबी की खातेदारी में है तथा जगदेव पि. गणेशाराम कौम जाट के खेत ख.नं. 631, 632 627 में से रास्ता चाहते हैं। मौकानुसार ख.नं. 631, 632 जो कि जगदेवराम के खेत हैं तथा ख.नं. 630 महावीर सिंह रामसिंह पि. रतन सिंह के खेत मे से होकर

— निरन्तर-2 —

Scanned with CamScanner

रास्ता सुलभ है। जगदेवराम के खेत में से रकबा 0.15 बिस्वा एवं ख.नं. 630 का रकबा 0.06 बिस्वा रास्ता हेतु बनता है तथा बाद में गोचर में से होकर पुराने रास्ता में मिल जाता है। रास्ता का अंकन लाल स्याही से किया गया है। नियमानुसार DLC रेट से राशि जमा करवाकर 251 क के तहत रास्ता दिया जाना उचित रहेगा। श्रीमान वैकल्पिक रास्ता 'C' एवं 'D' से जाने पर ख.नं. 630 में 10 बीस्वा व ख.नं. 631 व 632 में 13 बीस्वा का रास्ता DLC रेट अनुसार दिया जा सकता है।

नजरी नक्शा

497

(नायब तहसीलदार)
मौका कमिश्नर

13/06/18
तहसीलदार जायल
(नागौर)

I.L.R.
13/6/18

प्रेषक :- निरदाम (पू.अ.) लूणसरा

प्रेषिति :- श्रीमान तहसीलदार (पू.अ.) साहब जायल

विषय :- ग्राम डूंगार के ख.न. 631 व 632 में से 8 फुट चौड़ा रास्ता धारा 251 क के तहत दिलवाने बाबत

प्रार्थीगण :- कानाराम पुत्र बगसाराम सीताराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल नि. डूंगार

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थीगण कानाराम पुत्र बगसाराम सीताराम पुत्र कानाराम निवासी डूंगार का खेत ख.न. 633 रकबा 6.08 में जाने हेतु उपखण्ड कार्यालय में दावा वाद स. 164/12 दायरकर अप्रार्थी महावीरसिंह रामसिंह पि. रतनसिंह कौम जाट सा. डूंगार के खेत ख.न. 630 रकबा 12.14 में से 15 फुट चौड़ा जो प्रार्थी जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति जाट द्वारा चाहा गया है व ख.न. 631 रकबा रकबा 10.14 व ख.न. 632 रकबा 6.02 बीघा जो अप्रार्थी जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी डूंगार के पूर्वी मांड पर चिपता हुआ वाद दायर कर D.L.C. दर से मांग की गई है।

(1) यह है कि प्रार्थीगण कानाराम पुत्र बगसाराम सीताराम पुत्र कानाराम निवासी डूंगार का खेत ख.न. 633 रकबा 6.08 जो कि कानाराम पुत्र बगसाराम जाति मेघवाल निवासी डूंगार की खातेदारी में दर्ज है।

(2) यह है कि अप्रार्थीगण महावीरसिंह रामसिंह पि. रतनसिंह जाति राजपूत निवासी डूंगार का खेत ख.न. 630 रकबा 12.14 बीघा व खेत ख.न. 631 रकबा 10.14 व ख.न. 632 रकबा 6.02 जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी डूंगार की खातेदारी में दर्ज है।

(3) यह है कि प्रार्थीगण कानाराम पुत्र बगसाराम जाति मेघवाल निवासी डूंगार का खेत ख.न. 633 रकबा 6.08 में जाने हेतु अप्रार्थीगण महावीरसिंह रामसिंह पि. रतनसिंह कौम राजपूत का खेत ख.न. 630 रकबा 12.14 में से 15 फुट व अप्रार्थी जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति जाट निवासी डूंगार का खेत खेत ख.न. 631 रकबा 10.14 व ख.न. 632 रकबा 6.02 में से 8 फुट चौड़ा पूर्वी सीमा के चिपता हुआ D.L.C. दर से मांग की गई है। जो आगे दर्शाये गये रास्ते अनुसार है।

Scanned with CamScanner

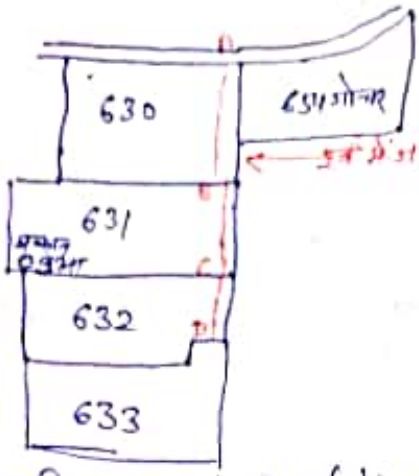

(4) यह है कि प्रस्तावित रास्ता जो कि पूर्व में जगदेराम पुत्र जगेशराम कौम जार द्वारा मांग किया गया रास्ता है जो 15 फुट चौड़ा मांगा गया है जिसकी लम्बाई A से B 350 फुट व चौड़ा 15 फुट यानि 5250 वर्ग फुट है व B से C बिंदु लम्बाई 300 फुट व चौड़ाई 8 फुट = 2400 वर्ग फुट व ख.न. 632 की लम्बाई 165 फुट व चौड़ाई 8 फुट = 1320 वर्गफुट

(5) ग्राम की सिंचित की D.L.C. दर 40570 रू० प्रति बिघा है।

(6) यह है कि ख.न. 630 में से A से B प्रस्तावित रास्ता 0.06 बीघा व ख.न. 631 का प्रस्तावित रास्ता 0.02.15 बीघा व 632 का प्रस्तावित रास्ता 0.01.10 बीघा बनता है।

विवरण देय राशि

क्रम सं.	नाम ग्राम	ख.न.	खातेदार के नाम	रास्ते में आने वाली भूमि	D.L.C. दर,	देय राशि
1	डुंगार	630	महावीरसिंह पुत्र रतनसिंह कौम राजपूत सा. देह	350X15 5250 वर्गफुट यानि 0.06 बीघा	40570 से X2 3 गुणा 36513	=73026
2	-॥-	631	जगदेराम पुत्र जगेशराम जार सा. देह	300X8 2400 वर्गफुट 0.02.15 बीघा	16736	= 33472
		632	-॥-	165X8 1320 वर्गफुट यानि 0.01.10	9129	= 18258

उपरोक्त राशि भूमि की D.L.C. दर से जमा होने पर रास्ते आवंटन योग्य है।

नोट:- प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग खसरों के पश्चिमी भाग से की गई है पश्चिमी सीमा पर ख.न. 631 में मकान व कुआ है इसलिए पश्चिम से दिया जाना उचित नहीं है।

C.S.
13/06/18
तहसीलदार जायल
(नागौर)

13/6/18
I.L.R. [illegible]

C.S.
उप खण्ड अ[illegible]
जायल

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बहज्जलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012

प्रार्थी :–

1. जगदेवराम पुत्र गणेशराम जाति–जाट उम्र 48 साल
   निवासी–ईग्यार , तहसील–जायल, जिला–नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. महावीरसिंह पुत्र रतनसिंह उम्र 38 साल जाति–राजपूत निवासी–ईग्यार तह. जायल
2. रामसिंह पुत्र रतनसिंह उम्र 35 साल जाति–राजपूत, निवासी–ईग्यार तह. जायल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल
4. रामनाथ पुत्र गोपालराम जाति–जाट उम्र 67 निवासी–ईग्यार तहसील–जायल

प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012

प्रार्थीगण –

1. कानाराम पुत्र बगसाराम उम्र 70 साल
2. सीताराम पुत्र कानाराम उम्र 40 साल
   कौम–मेघवाल, निवासी–ईग्यार, तहसील–जायल (नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. जगदेवराम पुत्र गणेशराम उम्र 48 साल जाति–जाट निवासी–ईग्यार तहसील–जायल
2. बुधाराम पुत्र सुगनाराम उम्र 45 साल जाति–जाट निवासी–ईग्यार तहसील–जायल
3. महावीरसिंह पुत्र रतनसिंह उम्र 45 साल, जाति–राजपूत, निवासी–ईग्यार तह. जायल
4. रामसिंह पुत्र रतनसिंह उम्र 38 साल, जाति–राजपूत, निवासी–ईग्यार तह. जायल
5. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

1. अधिवक्ता श्री हरिश पारीक
2. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह
3. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका

दि. अप्रार्थीगण राजपैरोकार (3 व 5) उपस्थित।

16/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

जगदेराम बनाम महावीरसिंह वगैरह
कानाराम बनाम जगदेवराम वगैरह
रा. प्रा.पत्र संख्या 153/2012 एवं 164/2012

– : : आदेश : : –

उपरोक्त अनुवानित प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये ...वक्ता के न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के ...त रास्ता स्वीकृति व घोषणा हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया।

1. प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 627, 631, 632 मौजा ईंग्यार तहसील जायल की काकड़ मे स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी जगदेवराम के नाम है। उक्त खेताय में आने जाने के लिए खसरा नं. 630 के पूर्वी माठ के सहारे–2 होते हुये खसरा नं. 654 गैर मुमकिन गौचर में से होकर के आगे ईंग्यार में मुख्य कटाणी रास्ता जिसके खसरा नं. 497 वाकै ईंग्यार में जाता है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में दर्शित नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क बिन्दू ए से बी रास्ते से ही अपने उक्त खेतायों में फसल की बुवाई, फसल अवेरने, घास–फुंस इत्यादि ले जाने हेतु वाहन, गाड़ी छकड़ा ट्रेक्टर इत्यादि लाता ले जाता रहा है तथा स्वयं भी पैदल आना जाना करता रहा है। खसरा नं. 630 वाकै ईंग्यार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 महावीरसिंह, रामसिंह के खातेदारी, कब्जा व खरीद सुदा खेत है। उक्त अप्रार्थीगण ने बदनियती से प्रार्थी के खेतो में आवागमन को एक मात्र रास्ता पर अपने खेत की पूर्वी माठ पर पत्थर डाले हुये सुखे पत्थरों की कच्ची दीवार बनाते हुये अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी को अपने खेताय में कृषि कार्य करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता/संसाधन नहीं है। प्रार्थी कब्जा काश्त के खेताय सींचित होने से आवागमन का विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से बी के रास्ते की निकटतम रास्ता यही होने से रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खेताय में से माफिक नजरी नक्शानुसार रास्ता के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं हो पाने के कारण प्रार्थी वादग्रस्त रास्ता अप्रार्थीगण से 30 फीट चौड़ाई में दिलाये जाने हेतु उक्त आवेदन पत्र पेश किया जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार कर कटाण घोषित करते हुये बंद रास्ते को खुलवाने व कटाणी घोषित कराने बाबत् की इस्तदुआ की गई।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह व अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से वकील श्री बस्तीराम ढाका ने वकालात नामा पेश किया। प्रकरण संख्या 153/2012 में मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 12.08.2013 को नायब तहसीलदार जायल मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना में

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

नायब तहसीलदार जायल द्वारा दिनांक 09.09.2013 किये गये मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.09.2013 प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है, जिसमें रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

- ✓ राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नं. 633 कानाराम पि. बक्षाराम कौम भांबी, खसरा नं. 627, 631 एवं 632 जगदेव पि. गणेशराम, खसरा नं. 630 महावीरसिंह, रामसिंह पि. रतनसिंह कौम–राजपूत, खसरा नं. 653 रामनाथ पि. गोपालराम कौम जाट एवं खसरा नं 629 मनीराम दत्तक पुत्र रामकरण कौम जाट की खातेदारी में है।
- ✓ प्रार्थना पत्र 153/2012 जगदेव बनाम महावीरसिंह में खसरा नं. 627, 631 व 632 के खेत में जगदेव, खसरा नं. 630 में से रास्ता चाहता है। मौका अनुसार रास्ता मार्क ए से बी अनुसार सुलभ है जिसका रकबा 0.06 बीघा बनता है बाद में यह रास्ता गोचर में से होकर कटाणी रास्ता में मिलता है नक्शे में रास्ते का अंकन लाल स्याही से किया गया है।
- ✓ नियमानुसार डी.एल.सी. रेट से राशि जमा करवाकर 251क के तहत रास्ता दिया जाना उचित रहेगा।
- ✓ वैकल्पिक रास्ता मार्क सी से डी खसरा नं. 630 में 0.10 बीघा डीएलसी दर अनुसार दिया जाना बताया है।

3. वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने जबाब में प्रार्थना पत्र के तथ्य गलत व मनगढ़त आधार पर केवल मात्र तंग व परेशान करने की नियत से बेबुनियाद आधार पर पेश किया जाना। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से गलत रिपोर्ट एवं गलत आधारो पर पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अप्रार्थी को क्षतिकारित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी के खेत के खसरा नं. 627, 631, 632 वाकै ईग्यार तहसील जायल में आवागमन का कोई रास्ता 15 फीट चौड़ाई में खेत खसरा नं. 630 वाकै ईग्यार की पूर्व माठ के सहारे–2 होते हुये खसरा नं. 654 गैर मुमकिन गौचर में से होकर फसल बुआई, फसल अवेरने व घास–फूस फसल इत्यादि ले जाने हेतु वाहन, गाड़ी छकड़ा, ट्रेक्टर इत्यादि से प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी अर्सा कदीमी रास्ते के रूप में रहता रहा हो। प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच में आपसी सहमति से कोई रास्ता तय होना या बातचीत नहीं होना बताया।

प्रार्थी के खेत में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 627 पश्चिमी तरफ से गांव ईग्यार तक आने जाने का रहता रहा है इसके अलावा भी प्रार्थी जगदेव खसरा नं. 629 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे खसरा नं. 629 वाकै मौजा ईग्यार में से होकर भी आता जाता रहा है। इसके अलावा पटवारी हल्का द्वारा जारी नक्शा दिनांक

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

18.07.13 में लाल स्याही के अंकन अनुसार खसरा नं. 626 की दक्षिणी माठ पर से गांव ईग्यार तक रास्ता है से अपने खेताय में आता जाता रहा है। प्रार्थी खसरा नं. 629 वाकै ईग्यार की पूर्वी–माठ के सहारे सहारे अपने खेत खसारा नं. 631 में प्रवेश करता है जिधर से कानाराम भेघवाल भी अपने खेत खसरा नं. 633 वाकै ईग्यार में आता जाता रहा है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी के खेतो में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है जबकि प्रार्थी के आने जाने के लिए 2 रास्ते रहते रहे है। जिससे प्रार्थी को अन्य सुविधा उसकी इच्छानुसार विधिनुसार प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते की सुविधा है जिससे प्रार्थी नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी नया रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है, ना ही आत्यान्तिक आवश्यकता प्रार्थी को है।

प्रार्थी ने कानाराम के खेत में आने जाने के रास्ते को अवरूध करने के उद्देश्य से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के खेत में आने–जाने का रास्ता होते हुये भी धारा 251क आर.टी.एक्ट के तहत नया रास्ता प्रतिकर अदा कर सुविधा के लिए नही बनाया जा सकता है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, बल्कि प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिए खसरा नं. 627 के पश्चिमी तरफ स्थित खसरा नं. 626, 626/792 की माठ पर से होकर आगे खसरा नं. 626, 626/792 की दक्षिणी माठ पर से गुजरने वाले रास्ते से आना जाना कर रहा है कभी कभार प्रार्थी खसरा नं. 629 की पूर्वी माठ से होकर भी आता जाता है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ तथाकथिक पटवारी हल्का की कूटरचित व बनावटी रिपोर्ट पेश की है जिसमें अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 630 की पूर्वी माठ के सहारे–2 अर्सा कदीमी रास्ता होता तो प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने का पेश करते न की धारा 251क के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते।

प्रार्थी राजनैतिक व बाहुबली एवं धनबली होने के कारण अप्रार्थी महावीरसिंह के खेत की दक्षिणी दीवार को तोड़कर नुक्सान कारित किया तथा फसल नष्ट कर दी प्रार्थी अप्रार्थीगण के खेत में से जबरन रास्ता निकालकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करके खेत से बेदखल करना चाहते है। उक्त रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थीगण को लाखों रूपये की आर्थिक हानि होगी जिसका मूल्यों में आंकलन संभव नहीं है। प्रार्थी के खेत में ट्यूबवेल है तथा अप्रार्थीगण खेत में भी ट्यूबवेल है दोनो ही ट्यूबवेल पश्चिमी माठ के पास स्थित है जिससे खसरा नं. 631 में स्थित ट्यूबवेल तक पहुचने के लिए गांव ईग्यार से सीधा व कम दूरी का रास्ता खसरा नं. 626 के दक्षिण से स्थित रास्ते से फंट कर खसरा नं.626 व 626/792 की माठ पर से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 627 में प्रवेश करने वाला रास्ता है जो हमेशा प्रार्थी उपयोग व उपभोग में लेता रहा है

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

तथा आज दिन भी अपने खेत में आसानी से बिना किसी बाधा व रूकावट के आ जा रहा है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आत्यान्तिक आवश्यकता का नहीं है ना ही प्रार्थी को कोई असुविधा ही है।

वकील अप्रार्थी ने जवाब/एतराज में बताया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 अनुवान कानाराम बनाम जगदेव में अपना जवाब पेश कर कानाराम के खेत में आने का वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 653 मौजा ईग्यार के पूवी तरफ से कटाणी रास्ता कसनाउ गांव का बताते हुये खसरा नं. 653 व 652 की माठ पर से होकर कानाराम के खेत खसरा नं. 632 में प्रवेश करने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में खसरा नं. 653 की दक्षिणी–पूर्वी माठ से प्रार्थी के खेत खसरा नं. 632 की माठ मात्र 100 फीट दूरी पर ही स्थित है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा वैकल्पिक रास्ता जो कानाराम के खेत तक बताया है का उपभोग प्रार्थी भी कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगड़त, बनावटी तथ्यों, अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से तथा वैकल्पिक रास्ता होने के उपरान्त तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रदर्शित नहीं होने से खारिज किये जाने का अंकन जवाब प्रार्थना पत्र में किया है।

4. पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा तारीख पेशी दिनांक 11.03.2016 को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 18.11.2012 एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 09.09.2013 जो कि पत्रावली में दिनांक 17.09.2013 को प्राप्त हुई है, में एकरूपता नहीं होने पर आपत्ति जाहिर की तथा पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण किये जाने बाबत् निवेदन किया। जिसपर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2016 मौका निरीक्षण हेतु तारीख पेशी निर्धारित कर दिनांक 22.03.2016 को उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 के लिए मौका निरीक्षण किया गया। प्रकरण में तैयार की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.2016 जो तारीख पेशी 04.04.2016 पत्रावली में सामिल की गई।

पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.03.16 का विवरण निम्नानुसार है –

- मौजा ईग्यार से मातासुख पर खातेदार महावीरसिंह का खेत खसरा नं. 630 इसके दक्षिण में खातेदार जगदेवराम का खेत खसरा नं. 631 व 632 तथा जगदेवराम के खेत के दक्षिण में खातेदार कानाराम का खेत खसरा नं. 633 तथा कानाराम के खेत के दक्षिण में खेत खसरा नं. 634 खातेदार महावीरसिंह का स्थित है। जो नजरी नक्शा में प्रदर्शित किया गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

- मौजा ईग्यार के खेत खसरा नं. 634 के दक्षिण में मार्ग है जो खसरा नं. 652 के दक्षिण में होकर खसरा नं. 653 व 654 के पूर्वी सीमा पर है तथा ग्राम कसनाऊ की ओर जाता है, तथा बिना कटाणी है तथा मौके पर चालू है। जो नजरी नक्शा में प्रदर्शित किया गया है।
- अप्रार्थी महावीरसिंह के खेत खसरा नं. 630 की पूर्वी सीमा तथा गौचर भूमि खसरा नं. 654 की पश्चिमी सीमा पर नजरी नक्शानुसार (डोटेड मार्क) पर खाई खोदी हुई तथा खसरा नं. 630 की दक्षिणी सीमा व खसरा नं. 631 की उतरी सीमा पर (डोटेड मार्क) भाग पर सुखे पत्थरो की दीवार बनी है। जो नजरी नक्शा में प्रदर्शित किया गया है। प्रार्थी खातेदार जगदेवराम के खेत खसरा नं. 631 व 632 की पूर्वी सीमाऐं जहां पर दोनो खेत की सीमाऐ मिलती है पर पानी का कुआ बना है। जो नजरी नक्शा में प्रदर्शित किया गया है।
- अप्रार्थी महावीरसिंह के खेत खसरा नं. 630, गैर मुमकिन गौचर भूमि खसरा नं. 654 व अन्य खातेदार रामनाथ के खेत खसरा नं. 653 की भूमि का मध्य क्षेत्र है वहां पर पानी का टांका बना हुआ है जो नजरी नक्शा में प्रदर्शित किया गया है।

वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण हाजा से संबंधित व सुसंगत पत्रावली संख्या 164/2012 कानाराम बनाम जगदेव वगैरह भी विचाराधीन है। दोनो पत्रावलियों में पूर्व पी.ओ. द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर संकलित मौका रिपोर्ट तैयार की है। उक्त प्रकरण में एवं कानाराम बनाम जगदेव में भी अधिवक्ता समान ही है, इसलिए उक्त दोनो प्रकरणो में साथ ही बहस सुना जाना न्यायसंगत है। इसलिए उक्त पत्रावली संख्या 164/2012 को भी आज तारीख पेशी पर लिया जावे। वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देने के निवेदन पर जवाब अवसर बंद किया गया जाकर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 व 164/2012 के संबंध में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2016 तैयार की संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की मौका निरीक्षण पिोर्ट में सभी खसरान एवं दोनो पत्रावलियों के तथ्यों का नजरी नक्शा सहित दोनो वकुलाय की उपस्थिति में तैयार किये जाने का उल्लेख है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि रास्ता केवल एक खसरे तक सीमित नही है जगदेवराम, महावीरसिंह वगैरह से रास्ता चाह रहा है वहीं कानाराम वगैरह जगदेवराम से रास्ता चाह रहे है ऐसी स्थिति में कटाणी रास्ता दोनो का एक ही रेफरेन्स बिन्दू है वहीं से लगातार महावीरसिंह वगैरह से जगदेवराम को एवं

Scanned with CamScanner

जगदेवराम के खेत से कानाराम वगैरह रास्ता चाह रहे है। रास्ता लगायत एवं सांतत्य में ही चलता है। चूंकि उक्त दोनो ही प्रार्थना पत्र वर्ष 2012 से लम्बित है तथा काफी पुराने प्रकरण है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रकरण समरी प्रोसेडिंग के तहत आते है, जिनका निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना होता है। अतः विधिकी सम्यक प्रक्रिया के अनुसार सीविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 एवं 164/2012 को उचित निर्णयन हेतु उप संजात किया जाना उचित प्रतीत होने पर **प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 अनुवान कानाराम बनाम जगदेव को प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 जगदेव बनाम महावीर वगैरह** के साथ उप संजात (कन्सल्टेड) किया गया।

5. उपसंजात प्रकरण संख्या 164/2012 अनुवान कानाराम बनाम जगदेव का संक्षेप सार में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने खातेदारी के खेत खसरा नं. 633 रकबा 6.08 बीघा जो कि मौजा ईग्यार तहसील जायल की काकड़ में स्थित है जिसमें आने जाने के लिए खसरा नं. 497 गैर मुमकिन रास्ते से दक्षिण की तरफ स्थित खेत खसरा नं. 629 की पूर्वी माठ, खसरा नं. 630 की पश्चिमी माठ पर से खसरा नं. 631 की पश्चिमी माठ , खसरा नं. 627 की पूर्वी माठ तथा खसरा नं. 632 की पश्चिमी माठ पर से अर्सो से कदीमी है तथा आज दिन भी बदस्तुर रास्ता मौके पर 8 फीट चौड़ा है तथा निर्बाध रूप चलन में है, तथा खसरा नं. 627 की पूर्वी माठ पर प्रार्थीगण के खेत तक रास्ता मात्र पगडण्डी के रूप में ही है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा अपने खातेदारी के खेताय में से उक्त 8 फीट चौड़ा रास्ते को नहीं रोका है तथा न ही किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर की है। खेत खसरा नं. 627, 631 व 632 के खातेदार अप्रार्थी जगदेवराम के कब्जा काश्त के खेताय होने से प्रार्थीगण को उक्त रास्ता रोकने की धमकी दी है। प्रार्थीगण के खेताय सींचित होने से आवागमन का विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र माफिक नजरी नक्शा मार्क क से ख के प्रार्थीगण को रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 251क के तहत घोषित कराने बाबत् की इस्तदुआ प्रार्थना पत्र में की गई है।

6. वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 में दिनांक 24.07.2013 को जवाब पेश किया तथा प्रार्थना पत्र में किये गये कथन कपोल कल्पित एवं मनगढ़त ,असत्य होने से अस्वीकार किया। जवाब में बताया कि वाकै मौजा ईग्यार का खेत खसरा नं. 633 रकबा 6.08 बीघा प्रार्थीगण कानाराम के नाम खातेदारी में है या नहीं की जानकारी नहीं अप्रार्थी को नहीं होना तथा प्रार्थी का अपने खेत खसरा नं. 633 में आने जाने का

Scanned with CamScanner

रास्ता खसरा नं. 497 गैर मुमकिन कटाणी रास्ते से दक्षिणी– तरफ खेत खसरा नं. 629 की पूर्वी माठ व खसरा नं. 630 की पश्चिमी माठ पर से होकर खसरा नं. 631 की पश्चिमी माठ पर से होकर अर्सा कदमी से रहता चला आया होने तथा आज दिन भी प्रार्थी द्वारा कथित रास्ता मौके पर होने का कथन गलत बताया। प्रार्थी ने बदनियती से उक्त आवेदन पत्र अप्रार्थीगण खसरा नं. 3 व 4 महावीरसिंह व रामसिह के कहने एवं उनके मिलावट करके पेश किया है। प्रार्थीगण का तथाकथित रास्ता/पगडण्डी मौके पर है ही नहीं तथा न ही इनका कभी इस प्रकार से अपने खेत में आवागमन रहा है। मुझ अप्रार्थी द्वारा रास्ता रोकने की धमकी दिनांक 20.12.2012 को अथवा कभी भी नही दी गई। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत रफ नजरी नक्शा एवं नक्शा में मार्क क से ख सर्वथा मौके की स्थिति के विपरित एवं मनगढ़त, बनावटी, कथन किये गये है। मार्क क से ख रास्ता मौके पर कभी नहीं था न ही वर्तमान में है प्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 633 में आव जाव का रास्ता जवाब के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, जो सुविधाजन एवं गांव के नजदीक है।

प्रार्थीगण को खसरा नं. 634 के खातेदारान जो कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 है के विरूद्ध आवेदन पत्र पेश कर रास्ते की मांग करनी चाहिये। मुझ अप्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी के खसरा नं. 631, 632, 627 के लिए वाकै ईग्यार का अर्सा कदीमी रिवाजी रास्ता खसरा नं. 630 वाकै इग्यार की पूर्वी माठ, खसरा नं. 654 जो कि गौचर भूमि है, में से होकर के खसरा नं. 497 कटाणी रास्ता तक है, जिसको अप्रार्थीगण द्वारा पत्थर डालकर कर अवरूद्ध देने पर मैने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट का राजस्व प्रार्थना पत्र जगदेव बनाम महावीरसिंह वगैरह पेश किया। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन के लिए सुविधाजनक रास्ते दर्शाये गये है जो क्रमशः मार्क ए से बी, सी से डी प्रदर्शित है। प्रार्थीगण ने इस वर्ष भी अपने खेत में इसी रास्ता से होकर के बुआई की है। इसी प्रकार से मार्क ई से एफ. ग्राम ईग्यार में जाने का करीब 15 फीट चौड़ाई का आम रास्ता है एवं मार्क जी से एच. कसनाऊ से खसरा नं. 497 कटाणी रास्ता तक करीब 30 फीट चौड़ाई में आर. एस.एम.एम.एल. की अधिग्रहित की हुई भूमि में उनके द्वारा लगाई गई डोल के सहारे–2 आम रास्ता है।

प्रार्थीगण ने बदनियति से उक्त आवेदन पत्र पेश किया है जो हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जाने का जिक्र जवाब में किया। साथ ही वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी के अनापत्ति जाहिर करने पर नायब तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट

Scanned with CamScanner

मंगवाई गई, जिसकी अनुपालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2013 प्राप्त हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

- ✓ यह है कि राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नं. 633 कानाराम पि. बक्षाराम कौम भांबी, खसरा नं. 627, 631 एवं 632 जगदेव पि. गणेशराम, खसरा नं. 630 महावीरसिंह, रामसिंह पि. रतनसिंह कौम–राजपूत, खसरा नं. 653 रामनाथ पि. गोपालराम कौम जाट एवं खसरा नं 629 मनीराम दत्तक पुत्र रामकरण कौम जाट की खातेदारी में है।
- ✓ यह है कि प्रार्थना पत्र 164/2012 कानाराम बनाम जगदेव में ग्राम ईग्यार के खसरा नं. 633 कानाराम पुत्र बक्षाराम कौम भांबी की खातेदारी में है तथा जगदेव पि. गणेशराम कौम जाट के खेत खसरा नं. 631, 632, 627 में से रास्ता चाहता है।
- ✓ यह है कि मौका अनुसार रास्ता मार्क ए से बी अनुसार खसरा नं. 631, 632 जो कि जगदेवराम के खेत है तथा खसरा नं. 630 महावीरसिंह, रामसिंह के खेत में से होकर सुलभ है।
- ✓ यह है कि जगदेवराम के खेत में से रकबा 0.15 बीघा एवं खसरा नं. 630 का रकबा 0.06 बीघा रास्ता हेतु बनता है तथा बाद में गौचर भूमि में से होकर कटाणी रास्ता में मिल जाता है।
- ✓ यह है कि रास्ता का अंकन लाल स्याही से किया गया है।
- ✓ नियमानुसार डी.एल.सी. रेट से राशि जमा करवाकर 251क के तहत रास्ता दिया जाना उचित रहेगा।
- ✓ वैकल्पिक रास्ता मार्क सी से डी खसरा नं. 630 में 0.10 बीघा व खसरा नं. 631, 632 में से 0.13 बीघा का रास्ता डीएलसी दर अनुसार दिया जाना बताया है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थी ने आपत्ति जाहिर की तथा निवेदन किया कि नायब तहसीलदार जायल ने बदनियति से बिना मौका निरीक्षण किये बाला–बाला अप्रार्थी महावीरसिंह, रामसिंह को नाजायज एवं विधि विरूद्ध तरीके से लाभ पहुचानें के लिए एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार की है जो अस्वीकार है। नायब तहसीलदार जायल ने अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मूल आवेदन पत्र एवं प्रार्थी कानाराम के जवाब के साथ प्रस्तुत रफ नजरी नक्शा में प्रार्थी के अपने खेत में आवागमन हेतु उपलब्ध रास्ता मार्क ए–बी, व सी–डी तथा आम रास्ता मार्क ई–एफ एवं जी–एच जो कि मौके पर मौजूद है का मौका निरीक्षण नहीं किया। मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा कथित रास्तों के संबंध में निरीक्षण नहीं किया गया तथा न ही उक्त रास्ते प्रार्थी के लिए सुविधाजनक क्यों नही का उल्लेख मौका रिपोर्ट में किया। मौका निरीक्षण पक्षकारान् को बगैर नोटिस दिये

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

तैयार की गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित जाकर विधि विरूद्ध तरीके से बनाई गई है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट अशुद्ध दस्तावेज मात्र है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 को नाजायज लाभ पहुचानें के उद्देश्य से तैयार की गई है जिसे अस्वीकार कर रेकर्ड से हटाई जाने का निवेदन किया गया। वकुलाय को मौका रिपोर्ट में की गई आपत्तियों पर सुना गया।

वकुलाय की सहमति पर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जो सामिल पत्रावली है दिनांक 13.06.2018 की मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का विवरण निम्न प्रकार है –

- ✓ यह है कि ग्राम ईग्यार तहसील जायल का खेत खसरा नं. 633 रकबा 6.08 बीघा जो कि कानाराम पुत्र बगसाराम जाति मेघवाल निवासी ईग्यार की खातेदारी में है।
- ✓ यह है कि खेत खसरा नं. 630 रकबा 12.14 बीघा महावीरसिंह, रामसिंह पि. रतनसिंह कौम–राजपूत, खसरा नं. 631 रकबा 10.14 बीघा, खसरा नं. 632 रकबा 6.02 बीघा जगदेवराम पुत्र गणेशराम कौम जाट निवासी ईग्यार की खातेदारी में है।
- ✓ यह है कि प्रार्थी कानाराम पुत्र बगसाराम जाति मेघवाल निवासी ईग्यार का खेत खसरा नं. 633 में जाने हेतु अप्रार्थीगण महावीरसिंह, रामसिंह पि. रतनसिंह कौम–राजपूत के खेत खसरा नं. 630 में से 15 फुट व अप्रार्थी जगदेवराम के खेत खसरा नं. 631 व 632 में से 8 फीट चौड़ा पूर्वी सीमा से चिपता हुआ डी.एल.सी. दर से मांग की गई, जो नजरी नक्शानुसार है।
- ✓ यह है कि प्रस्तावित रास्ता जो कि पूर्व में जगदेवराम द्वारा मांग किया गया है जिसमें खसरा नं. 630 में से 15 फुट चौड़ाई तथा 350 फुट लम्बाई (5250 वर्गफुट) अर्थात 0.06 बीघा मार्क ए से बी, खसरा नं. 631 में से 8 फीट चौड़ा तथा 300 लम्बाई (2400 वर्गफुट) 0.02.15 बीघा मार्क बी से सी की खसरा नं. 632 में से 8 फीट चौड़ा व 165 फीट लम्बाई में (1320 वर्गफुट) 0.01.10 बीघा मार्क सी से डी है।
- ✓ यह है कि सिंचित भूमि होने से ग्राम की डी.एल.सी. दर 40570 रू. बीघा है।
- ✓ यह है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 630, 631, 632 की पश्चिमी माठ से की गई है खसरा नं. 631 की सीमा में मकान व कुआ बना है, अतः रास्ता पश्चिमी माठ से दिया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त दोनो मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2013 व 13.06.2018 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2013 में वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 630, 631, 632 (मार्क सी से डी) तथा प्रस्तावित रास्ता (मार्क ए से बी) बताया गया है, तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 में रास्ता खसरा नं. 630, 631, व

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

632 में (मार्क ए–बी, बी–सी, व सी–डी) पश्चिमी माठ पर से दिया जाना उचित बताया है।

प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 अनुवान कानाराम बनाम जगदेव को प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 में उप संजात किये जाने के आदेश पारित हो रखे है। उक्त प्रकरण वर्ष 2012 से लम्बित है तथा काफी पुराने है, उक्त दोनो प्रकरणो में आवश्यक दस्तावेजी कार्यवाही भी पूर्ण हो चुकी है। उक्त दोनो पत्रावलियों में अधिवक्तागण द्वारा मौका रिपोर्ट पर बार–बार आपत्तियां प्रस्तुत करने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जो सामिल पत्रावली है। जिसमें दोनो पत्रावलियों के लिए प्रस्तावित रास्ते के संबंध में खुलासा रिपोर्ट है। उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ बहस सुने जाने हेतु वकुलाय के निवेदन पर बहस अन्तिम बाबत् तारीख पेशी नियत की गई।

2. दौराने बहस प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 जगदेव बनाम महावीरसिंह वगैरह में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क में वर्णित अनुतोष के लिए पुर्नदोहरान किया तथा खातेदारी के खेत खसरा नं. 627, 631, 632 मौजा ईग्यार तहसील जायल में आने जाने के लिए अप्रार्थी महावीरसिंह के खेत खसरा नं. 630 के पूर्वी माठ के सहारे–2 , खसरा नं. 654 (गौचर) में से ग्राम ईग्यार में मुख्य कटाणी रास्ता खसरा नं. 497 नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क बिन्दू ए से बी रास्ते से ही अपने खेतायों में फसल की बुवाई, फसल अवेरने, घास–फुंस हेतु वाहन, गाड़ी छकड़ा ट्रेक्टर लाने व ले जाने का जिक्र किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 महावीरसिंह, रामसिंह जो कि खसरा नं. 630 के खातेदार है। जिन्होने बदनियती से प्रार्थी के खेतो में आवागमन का एक मात्र रास्ते अर्थात अपने खेत की पूर्वी माठ पर पत्थर डाले हुये सुखे पत्थरों की कच्ची दीवार बनाते हुये अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी के अपने खेताय में कृषि कार्य करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता/संसाधन नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खेताय में से रास्ता हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं हो पाने के कारण एवं प्रार्थी के खेताय सींचित होने से आवागमन का विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खेताय 630 में से 30 फीट चौड़ाई में माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

बहस के दौराने दलीलें दी कि प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 अनुवान कानाराम बनाम जगदेव वगैरह, जो प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 में प्रार्थी जगदेव, अप्रार्थी संख्या 1 के रूप पक्षकार संयोजित है, के संबंध में निवेदन किया प्रार्थना पत्र संख्या

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी) जायल

Scanned with CamScanner

164/2012 में वर्णित प्रार्थी के कथन कपोल कल्पित एवं मनगढ़त, असत्य है। प्रार्थी का अपने खेत खसरा नं. 633 में आने जाने का रास्ता खसरा नं. 497 गैर मुमकिन कटाणी रास्ते से दक्षिणी–तरफ खेत खसरा नं. 629 की पूर्वी माठ व खसरा नं. 630 की पश्चिमी माठ पर से होकर खसरा नं. 631 की पश्चिमी माठ पर से होकर अर्सा कदमी से रहता चला आया है तथा आज दिन भी प्रार्थी द्वारा कथित रास्ता मौके पर है। प्रार्थी ने बदनियती से उक्त आवेदन पत्र अप्रार्थीगण खसरा नं. 3 व 4 महावीरसिंह व रामसिह के कहने एवं उनके मिलावट करके पेश किया है।

प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत रफ नजरी नक्शा एवं नक्शा में मार्क क से ख सर्वथा मौका स्थिति के विपरित एवं मनगढ़त, बनावटी होना दौराने बहस बताया। प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क (क से ख) रास्ता मौके पर कभी नही था न ही वर्तमान में है। प्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 633 में आव जाव का रास्ता संलग्न (जवाब प्रा.पत्र प्रकरण सं. 164/2012) नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है. जो सुविधाजन एवं गांव के नजदीक है। प्रार्थीगण ने इस वर्ष भी अपने खेत में इसी रास्ता से होकर के बुआई की है। इसी प्रकार मार्क ई से एफ ग्राम ईग्यार में जाने का करीब 15 फीट चौड़ा आम रास्ता है एवं मार्क जी से एच. कसनाऊ से खसरा नं. 497 कटाणी रास्ता तक करीब 30 फीट चौड़ाई में आर.एस.एम.एम.एल. की अधिग्रहित की हुई भूमि में उनके द्वारा लगाई गई डोल के सहारे–2 भी एक आम रास्ता है। मुझ अप्रार्थी खातेदारी के खसरा नं. 631, 632, 627 के लिए अर्सा कदीमी रिवाजी रास्ता खसरा नं. 630 वाकै इग्यार की पूर्वी माठ, खसरा नं. 654 (गौचर) में से होकर के खसरा नं. 497 (कटाणी) तक है, जिसको प्रार्थीगण द्वारा पत्थर डालकर कर अवरूद्ध देने पर मैने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट का राजस्व प्रार्थना पत्र जगदेव बनाम महावीरसिंह वगैरह पेश किया। अतः प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 के प्रार्थीगण ने बदनियति से उक्त आवेदन पत्र पेश किया है जो हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे तथा मुझ प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 में प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत एवं कटाण घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8. वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 जगदेव बनाम महावीरसिंह वगैरह में प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 627, 631, 632 वाकै ईग्यार तहसील जायल में आवागमन के लिए रास्ता खेत खसरा नं. 630 वाकै ईग्यार की पूर्व माठ के सहारे–2 होते हुये खसरा नं. 654 (गौचर) में से होकर संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए से बी अर्सा

Scanned with CamScanner

कदीमी रास्ते के रूप में नहीं है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच में आपसी सहमति से कोई रास्ता तय होने बाबत बातचीत हुई है। प्रार्थी के खेत मे आने जाने का वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 627 पश्चिमी तरफ से गांव ईग्यार तक है इसके अलावा भी प्रार्थी जगदेव खसरा नं. 629 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे खसरा नं. 629 वाकै मौजा ईग्यार में से होकर आता जाता है।

प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जबकि प्रार्थी के आने जाने के लिए 2 रास्ते रहते रहे है। जिससे प्रार्थी को अन्य सुविधा उसकी इच्छानुसार विधि विरूद्ध प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी नया रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है, ना ही रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता प्रार्थी को है। प्रार्थी ने कानाराम के खेत में आने जाने के रास्ता को अवरूध करने के उद्देश्य से यह झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.11.2012 को तैयार की गई रिपोर्ट कूटरचित व बनावटी है जिसमें अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 630 की पूर्वी माठ के सहारे–2 अर्सा कदीमी रास्ता होता तो प्रार्थना पत्र रास्ता खुलवाने का पेश करते न की धारा 251क के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते। प्रार्थी अप्रार्थीगण को मात्र तंग व परेशान करना चाहता है। जिस बाबत् गलत आधारो पर पटवारी हल्का से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट अप्रार्थी को क्षतिकारित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी राजनैतिक व बाहुबली एवं धनबली होने के कारण अप्रार्थी महावीरसिंह के खेत की दक्षिणी दीवार को तोड़कर नुक्सान कारित कर अप्रार्थीगण के खेत में से जबरन रास्ता निकालकर कर खेत से बेदखल करना चाहते है।

दौराने बहस दलीलें दी कि प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 अनुवान कानाराम बनाम जगदेव वगैरह, जो कि प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 में प्रार्थी जगदेव के रूप पक्षकार संयोजित है, के संबंध में निवेदन किया प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 में वर्णित प्रार्थी के कथन कपोल कल्पित एवं मनगढ़त, असत्य है। मौजा ईग्यार का खेत खसरा नं. 633 रकबा 6.08 बीघा प्रार्थीगण कानाराम के नाम खातेदारी में है या नहीं की जानकारी नहीं होना तथा प्रार्थी का अपने खेत खसरा नं. 633 में आने जाने का रास्ता खसरा नं. 497 गैर मुमकिन कटाणी रास्ते से दक्षिणी– तरफ खेत खसरा नं. 629 की पूर्वी माठ व खसरा नं. 630 की पश्चिमी माठ पर से होकर खसरा नं. 631 की पश्चिमी माठ पर से होकर अर्सा कदमी से रहता चला आया होने तथा आज दिन भी रास्ता मौके पर नहीं होने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने बदनियती से उक्त प्रार्थना पत्र 164/2012 प्रार्थीगण 3 व 4 महावीरसिंह व रामसिंह के कहने एवं उनके मिलावट करके पेश किया है। प्रार्थीगण का तथाकथित रास्ता/पगडण्डी मौके पर है ही नहीं तथा न ही इनका कभी इस प्रकार से अपने खेत में आवागमन रहा है। मार्क क से ख रास्ता मौके पर कभी नहीं था न ही वर्तमान में है प्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 633 में आव जाव का रास्ता जवाब के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, जो सुविधाजन एवं गांव के नजदीक है।

अप्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी के खसरा नं. 631, 632, 627 के लिए वाकै ईग्यार का अर्सा कदीमी रिवाजी रास्ता खसरा नं. 630 वाकै इग्यार की पूर्वी माठ, खसरा नं. 654 जो कि गौचर भूमि है, में से होकर के खसरा नं. 497 कटाणी रास्ता तक है, जिसको अप्रार्थीगण द्वारा पत्थर डालकर कर अवरूद्ध देने पर मैने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट का राजस्व प्रार्थना पत्र जगदेव बनाम महावीरसिंह वगैरह पेश किया। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन के लिए सुविधाजनक रास्ते नजरी नक्शे में दर्शाये गये है जो क्रमशः मार्क ए से बी, सी से डी प्रदर्शित है। इसके लिए मार्क ई से एफ. ग्राम ईग्यार में जाने का करीब 15 फीट चौड़ाई का आम रास्ता है एवं मार्क जी से एच. कसनाऊ से खसरा नं. 497 कटाणी रास्ता तक करीब 30 फीट चौड़ाई में आर.एस.एम.एम.एल. की अधिग्रहित की हुई भूमि में उनके द्वारा लगाई गई डोल के सहारे–2 भी आम रास्ता है।

प्रार्थीगण ने बदनियति से उक्त आवेदन पत्र पेश किया है जो हर्जा खर्चा सहित खारिज किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 153/2012 का खारिज किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 को स्वीकार कर माफिक मौका स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 के संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.11.12, मौका कमिश्नर रिपोर्ट 9.9.13 ,13.06.2018 एवं संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट 22.03.2016 इसी प्रकार प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2013, 13.06.2018 में संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है। दोनो ही पत्रावलीयां एक दूसरे के खेत से होकर रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रकरणो में रास्ता का उद्गम बिन्दू एक ही है जिसका विवरण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.2016 में है। प्रार्थी खातेदार जगदेवराम के खेत खसरा नं. 631 व 632 की पूर्वी सीमाऐं जहां पर दोनो खेत की सीमाऐ मिलती है पर पानी का कुआ बना है। जो नजरी नक्शा में प्रदर्शित किया गया है। अप्रार्थी महावीरसिंह के खेत खसरा नं. 630,

सहायक कलक्टर जायल

Scanned with CamScanner

पर मुमकिन गौचर भूमि खसरा नं. 654 व अन्य खातेदार रामनाथ के खेत खसरा नं. 630 की भूमि का मध्य क्षेत्र है वहां पर पानी का टांका बना हुआ है। अप्रार्थी का कहना है कि खसरा नं. 654 (गौचर) में से होकर अपने खेत खसरा नं. 630 में आना-जाना करता है, जो कि अपने आप में कोई रास्ता नहीं है तथा खसरा नं. 630 व 654 की हद पर सुखे पत्थरों की दीवार बनाकर रास्ता रोका है।

प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 व 164/2012 के लिए संयुक्त मौका निरीक्षण में दोनो पक्षकुलाय की उपस्थिति में तैयार किये जाने का उल्लेख है कि मौका रिपोर्ट के अनुसार खातेदार कानाराम ने खसरा नं. 633 में मकान बना रखा है एवं खसरा नं. 631 की सीमा पर कुआ बना हुआ है। रास्ता केवल एक खसरे तक सीमित नही है प्रार्थी जगदेवराम खेत खसरा नं. 627, 631, 632 के लिए अप्रार्थी महावीरसिंह वगैरह के खेत खसरा नं. 630 से रास्ता चाह रहा है वहीं प्रार्थी कानाराम वगैरह खेत खसरा नं. 633 के लिए अप्रार्थी जगदेवराम से खसरा नं. 629, 630, 631, 632, 627 में से रास्ता चाह रहे है ऐसी स्थिति में कटाणी रास्ता दोनो का एक ही रेफरेन्स बिन्दू है तथा प्रस्तावित रास्ता लगायत एवं सांतत्य में ही चलता है। इसी प्रकार प्रकरणो के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि खातेदार काश्तकार कानाराम अपने खेत खसरा नं. 633 में आने जाने के लिए महावीरसिह, रामसिंह वगैरह के खेत खसरा नं. 630 से बिना रोक टोक ले जा रहा है, क्योंकि महावीरसिंह वगैरह का खेत कानाराम वगैरह के आगे पड़ता है परन्तु खातेदार काश्तकार जगदेव को खसरा नं. 630 में से आवागमन के लिए खातेदार महावीरसिंह वगैरह मना कर रहे है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 153/2012 में प्रार्थी जगदेव महावीरसिंह से रास्ते की मांग कर रहा है तथा प्रकरण संख्या 164/2012 के प्रार्थी कानाराम को मना कर रहा है। ऐसी स्थिति में काश्तकार जब स्वयं रास्ते की समस्या से पीड़ित हो तो उसे आगे के काश्तकार को परेशान नहीं करना चाहिये वरन् दोनो को सहयोग कर सहमति से आने जाने हेतु रास्ते का प्रबंध करना चाहिऐ।

दोनों पत्रावलियों में संलग्न तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 एवं पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा किये गये मौका निरीक्षण रिपोर्ट को एक साथ देखने पर पाया कि पत्रावली संख्या 153/2012 में संलग्न मौका रिपोट नजरी नक्शानुसार खसरा नं. 631 के लिए खसरा नं. 630 में से मार्क ए से बी 15 फीट चौड़ाई रास्ता अंकित है तथा पत्रावली संख्या 164/2012 में संलग्न मौका नक्शानुसार मार्क ए-बी, बी-सी, सी-डी रास्ता खसरा नं. 632, 631 व 630 में से 15 फीट चौड़ाई में अंकित

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

...या है, से स्पष्ट है कि यह रास्ता घोषित होने से दोनो पत्रावलियों से संबंधित सभी ...कारों के लिए रास्ता उपलब्ध हो जायेगा।

अतः हम दोनो पत्रावलियों अर्थात प्रार्थना पत्र संख्या 153/2012 अनुवान ...देव बनाम महावीरसिंह एवं प्रार्थना पत्र संख्या 164/2012 कानाराम बनाम जगदेव ...प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 में से प्रकरण संख्या 164/2012 में प्राप्त ...मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 में वर्णनानुसार ग्राम ईग्यार तहसील जायल के खेत ...खसरा नं. 630, 631, 632 में से नजरीनक्शा में दर्शाये मार्क ए–बी–सी–डी मुताबिक 15 ...फीट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत व घोषित करना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत ...प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने ...अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए दोनो पत्रावलियों यथा 153/2012 एवं ...164/2012 में प्रभावित पक्षकारों के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण तहसीलदार जायल से प्रकरण संख्या 164/2012 अनुवान कानाराम बनाम जगदेव में प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 नजरी नक्शानुसार ग्राम–ईग्यार तहसील–जायल के खसरा नं. 630, 631, 632 में से डोटेट मार्क ए–बी, बी–सी, सी–डी के अनुसार 15 फीट का स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2018 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम–ईग्यार, तहसील–जायल के खसरा नं. 630, 631 एवं 632 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी पक्ष से प्रभावित खातेदार/पक्षकार को वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16/02/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

16/02/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner